विनोद कुमार भगत एवं अन्य

बनाम

जम्मू और कश्मीर राज्य एवं अन्य

(सिविल याचिका संख्या 6928/2021)

(17 नवंबर 2021)

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सूर्य कांत एवं विक्रम नाथ,, न्यायाधीश]

सेवा विधि: न्यायिक सेवा- प्रतिवादी 2002-03 में न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त हुए- वे आरक्षित वर्ग के याचिकाकर्ताओं की तुलना में मेरिट सूची में उच्च स्थान पर थे। हालांकि, जम्मू और कश्मीर आरक्षण नियम, 2005 के नियम 5 के अनुसार प्रत्यक्ष भर्ती के लिए उपबंधित रजिस्टर लागू कर ग्रेडेशन सूची तैयार की गई- इससे वास्तव में आरक्षित वर्ग के याचिकाकर्ताओं ने ग्रेडेशन सूची में सामान्य वर्ग के प्रतिवादियों को विस्थापित कर दिया- तृतीय और चतुर्थ याचिकाकर्ता ग्रेडेशन सूची में अपने स्थान के आधार पर सब-जज के पदोन्नत हुए। प्रतिवादी ने न्यायिक मजिस्ट्रेटों की ग्रेडेशन सूची रद्द करने और मेरिट के आधार पर ग्रेडेशन सूची तैयार करने के निर्देश हेतु रिट याचिका दायर की- उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादियों का तर्क था कि 2005 नियमों का नियम 5 केवल प्रत्यक्ष भर्ती के लिए लागू होगा न कि पदोन्नति के उद्देश्य से अंतः-क्रम वरिष्ठता निर्धारण के लिए- रिट याचिका का निपटारा करते हुए, उच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय अशोक कुमार एवं अन्य बनाम जे एंड के राज्य पर निर्भरता की - उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी ग्रेडेशन सूची को तथा ग्रेडेशन सूची में स्थान के आधार पर सिविल जज के पद पर प्रदान की गई पदोन्नतियों को चुनौती में विचारणीय मुद्दा था- अपील पर, अभिनिर्धारित: उच्च न्यायालय ने यह अवलोकन किया था कि अशोक कुमार मामले का अनुपात उद्भूत प्रमुख मुद्दे को तय करने हेतु पर्याप्त होगा- अशोक कुमार मामले के निर्णय का उल्लेख पूर्णतः अनावश्यक था क्योंकि उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं द्वारा उस निर्णय के आधार पर कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया था-

तथापि, उच्च न्यायालय ने अशोक कुमार मामले के अनुपात से स्वतंत्र रूप से ग्रेडेशन सूची की वैधता का विश्लेषण भी किया- उच्च न्यायालय का निर्णय दोनों पहलुओं पर तर्कों को परस्पर संयोजित करता प्रतीत होता है- उच्च न्यायालय के लिए या इस नाते, अशोक कुमार मामले के निर्णय पर निर्भर करना आवश्यक नहीं था, न ही उपयुक्त था, क्योंकि रिट कार्यवाही में या उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के दौरान ऐसा कोई आधार उठाया ही नहीं गया था- विवादित उच्च न्यायालय का निर्णय और आदेश रद्द- रिट याचिका उच्च न्यायालय की फाइल पर पुनः निर्णय हेतु बहाल।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 6928/2021

जम्मू में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के 27.11.2015 के निर्णय और आदेश से एस.डब्ल्यू.पी. संख्या 1350/2011 में।

ए. के. गंगुली, ए. मरियारपुथम, वरिष्ठ अधिवक्ता, सी. आजाद, अवनीश अरपुथम, सुश्री अनुराधा अरपुथम, मेसर्स अरपुथम अरुणा एंड कंपनी, अधिवक्तागण याचिकाकर्ताओं के लिए।

तुषार मेहता, महान्यायवादी, सुश्री माधवी दिवान, उप-महान्यायवादी, गौरव पचनंदा, वी. गिरी, संजय आर हेगड़े, वरिष्ठ अधिवक्तागण, राजत नायर, देवाशिष भारुखा, अंकुर तलवार, सुश्री शशि जुनेजा, सत्यजित कुमार, सुश्री तरुणा अर्धेंदुमौलि प्रसाद, सुश्री कनु अग्रवाल, आदित्य मनूबारवाला, पर्थ अवस्थी, सुश्री अवनी शर्मा, सुश्री मनीषा अंबवानी, अनुपम रैना, सुश्री सुवेणी भगत, सुनंदो राहा, दीपक गोयल, रुतविक पांडा, सुश्री निखर बेरी, सुश्री अंशु मलिक, अर्जुन कृष्णन, सुश्री प्रेरणा मेहता, राम संकर, सुश्री सुजाता बगढ़ी, सुश्री जी. चित्रकला, जी. जय सिंह, अनिव वेदा शर्मा, आर. वी. कामेश्वरन, गोपाल बलवंत साठे, अमित अरोड़ा, मोहम्मद आसिफ अली, अजय कुमार, सुश्री रिचा पांडे, बी. एल. शिवहरे, यूसुफ, बी. कृष्णा प्रसाद, सुश्री आस्था शर्मा, सुश्री मंतिका हरयाणी, साहिल टगोत्रा, कौस्तव सोम, प्रतिवादियों के लिए अधिवक्तागण।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया।

<u>आदेश</u>

1. अनुमति प्रदान की गयी|

2. यह अपील जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय (जम्मू) के खंडपीठ के 27 नवंबर 2015 के निर्णय से उत्पन्न होती है।

3. प्रतिवादी, जो उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता हैं, ने जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा (न्यायिक) परीक्षा 2002 में सफलता प्राप्त की और 2002-03 में न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त हुए। वे याचिकाकर्ताओं की तुलना में मेरिट सूची में उच्च स्थान पर थे। हालांकि, जम्मू और कश्मीर आरक्षण नियम, 2005 के नियम 5 के अनुसार प्रत्यक्ष भर्ती के लिए उपबंधित रजिस्टर लागू कर ग्रेडेशन सूची तैयार की गई। इससे वास्तव में आरक्षित वर्ग के याचिकाकर्ताओं ने ग्रेडेशन सूची में सामान्य वर्ग के प्रतिवादियों को विस्थापित कर दिया। तृतीय और चतुर्थ याचिकाकर्ता ग्रेडेशन सूची में अपने स्थान के आधार पर सब-जज के पदोन्नत हुए। न्यायिक मजिस्ट्रेटों की ग्रेडेशन सूची रद्द करने और मेरिट के आधार पर ग्रेडेशन सूची तैयार करने के निर्देश हेतु रिट याचिका दायर की गई। उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादियों का तर्क था कि 2005 नियमों का नियम 5 केवल प्रत्यक्ष भर्ती के लिए लागू होगा न कि पदोन्नति के उद्देश्य से अंतः-क्रम वरिष्ठता निर्धारण के लिए। इस उद्देश्य हेतु 2005 नियमों के नियम 31 और जम्मू और कश्मीर (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1956 के नियम 24 का भी उल्लेख किया गया।

4. **उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका का निपटारा करते हुए, खंडपीठ ने अपने पूर्व निर्णय अशोक कुमार एवं अन्य बनाम जे एंड के राज्य एवं अन्य (एसएलपी संख्या 1290/2014 सहित संबद्ध मामले) पर निर्भरता की। संदर्भ हेतु सुविधा के लिए, इस पहलू पर उच्च न्यायालय का निष्कर्ष निम्नलिखित रूप में उद्धृत है:**

> "16. वर्तमान याचिका में उठाया गया मुद्दा अशोक कुमार शर्मा मामले में खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय के दायरे में पूर्णतः आता है। यद्यपि याचिकाकर्ता ग्रेडेशन सूची और उसके परिणामी पदोन्नति आदेश को संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य होने तथा इसलिए संविधान के अतिरेकी होने के आधार पर चुनौती नहीं देते तथापि इंद्रा साहनी मामले में

प्रतिपादित विधि और अशोक शर्मा मामले में जिस पर निर्भरता की गई है, उसे वर्तमान मामले से नकारा नहीं जा सकता क्योंकि यह आरक्षण नियमों की संवैधानिकता को प्रभावित करता है जिसके आधार पर विवादित ग्रेडेशन सूची आधारित है तथा इसलिए निजी प्रतिवादियों को ग्रेडेशन सूची में उनके स्थान के आधार पर पदोन्नत करने वाले उच्च न्यायालय के आदेशों की वैधता। प्रश्नगत ग्रेडेशन सूची और उसके आधार पर निजी प्रतिवादियों के पक्ष में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन में किए गए पदोन्नति आदेश इस आधार पर ही रद्द करने योग्य हैं। इस प्रकार प्राप्त निष्कर्ष सामान्यतः मामले को तय कर देता। तथापि, यदि आवश्यक न हो तो भी पदोन्नति योजना में आरक्षण की संवैधानिकता के अतिरिक्त याचिका में उठाए गए अन्य मुद्दों से निपटना उचित होगा।"

5. **अशोक कुमार मामले** के पूर्व निर्णय का कार्यवाही पर शासन करने का निष्कर्ष प्राप्त करने पर, उच्च न्यायालय ने जम्मू और कश्मीर राज्य में पदोन्नति में आरक्षण की संवैधानिकता के अतिरिक्त अन्य मुद्दों से निपटा। अंततः, अपने निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 1 जून 2010 की उच्च न्यायालय द्वारा जारी ग्रेडेशन सूची को तथा ग्रेडेशन सूची में स्थान के आधार पर सिविल जज (वरिष्ठ खंड) के पद पर प्रदान की गई पदोन्नतियों को चुनौती में विचारणीय मुद्दा था। उच्च न्यायालय के संचालन निर्देश निर्णय के पैराग्राफ 25 और 26 में निहित हैं, जो निम्नलिखित रूप में उद्धृत हैं:

"25. उपर्युक्त कारणों से, हम 01.06.2010 की ग्रेडेशन सूची को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जारी तथा ग्रेडेशन सूची में उनके स्थान के आधार पर प्रतिवादी संख्या 3 और 4 को सिविल जज (वरिष्ठ खंड) पदोन्नत करने वाले आदेश को चुनौती में विचारणीय मुद्दा पाते हैं। विवादित ग्रेडेशन सूची के आधार पर पारित अन्य आदेशों को चुनौती, जिसमें विभिन्न आरक्षित वर्गों से संबंधित निजी प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं पर बढ़त लेने की अनुमति दी गई, भी सफल होनी चाहिए। हमें बताया गया है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 से 10 पहले से ही सिविल जज (वरिष्ठ खंड) पदोन्नत हो चुके हैं और प्रतिवादी संख्या 3 से 12, 14 और 15 भी हैं। अतः याचिकाकर्ता संख्या 1 से 10 का हित प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा बनाए रखी जाने वाली सिविल जज (वरिष्ठ खंड) की वरिष्ठता सूची में उनके उचित स्थान तक सीमित है।"

“26. याचिकाकर्ता संख्या 11 से 16 तथा मिस मीर अफरोज़ (उसके स्थानांतरण पर) अब्दुल कयूम मीर और मनज़ूर अहमद ज़रगार जो मेरिट सूची में क्रम संख्या 19 से 27 पर हैं, वे मेरिट सूची में क्रम संख्या 32, 37, 31, 33, 34, 41, 38, 30 पर प्रतिवादी संख्या 4, 5, 7 से 12 से वरिष्ठ हैं, और विभिन्न उच्च न्यायालय आदेशों सहित उच्च न्यायालय आदेश संख्या 252 दिनांक 04.07.2015 द्वारा सिविल जज (वरिष्ठ खंड) पदोन्नत हो चुके हैं। अतः याचिकाकर्ता संख्या 11 से 16 तथा मिस. मीर अफरोज़ (उसके स्थानांतरण पर) अब्दुल कयूम मीर और मनज़ूर अहमद ज़रगार को प्रतिवादी संख्या 4, 5, 7 से 12 से पूर्व सिविल जज (वरिष्ठ खंड) पदोन्नति हेतु विचारण का अधिकार था। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा याचिकाकर्ताओं के दावे को नजरअंदाज कर तथा उनके दावे को विचारण प्रदान न करने से संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत प्रदत्त उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। तथापि, मिस. मीर अफरोज़ (उसके स्थानांतरण पर) अब्दुल कयूम मीर और मनज़ूर अहमद ज़रगार वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता के रूप में सम्मिलित नहीं हुए हैं। याचिकाकर्ताओं ने निजी प्रतिवादी संख्या 4, 5, 7 से 12 को पदोन्नत करने वाले आदेशों सहित उच्च न्यायालय आदेश संख्या 252 दिनांक 04.07.2015 को प्रश्नित नहीं किया है। प्रतिवादी संख्या 4, 5, 7 से 12 संभवतः काफी समय से सिविल अधीनस्थ जज, वरिष्ठ खंड के रूप में कार्यरत हैं। हमारे पास वर्तमान तिथि तक रिक्त सिविल जज (वरिष्ठ खंड) के पदों के बारे में निश्चित जानकारी नहीं है ताकि यह जाँचा जा सके कि क्या याचिकाकर्ता संख्या 11 से 16 तथा मिस. मीर अफरोज़ (उसके स्थानांतरण पर) अब्दुल कयूम मीर और मनज़ूर अहमद ज़रगार को प्रतिवादी संख्या 4, 5, 7 से 12 को विचलित किए बिना ऐसी रिक्तियों के विरुद्ध सिविल जज (वरिष्ठ खंड) पदोन्नति हेतु विचारण प्रदान किया जाए और उसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा मेरिट के अनुसार कड़ाई से तैयार की जाने वाली सिविल जज (वरिष्ठ खंड) की वरिष्ठता सूची में स्थान दिया जाए। अतः हम प्रतिवादी संख्या 4, 5, 7 से 12 को सिविल जज (वरिष्ठ खंड) पदोन्नत करने वाले आदेशों को रद्द करने से बचते हैं। हम प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देश देते हैं कि वह यह पता लगाने का अभ्यास करे कि क्या वर्तमान तिथि तक कोई सिविल जज (वरिष्ठ खंड) के पद रिक्त हैं ताकि उपलब्ध पदों के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं को पदोन्नति हेतु विचारण प्रदान किया जा सके। ऐसा अभ्यास आज से तीन महीने के भीतर पूर्ण किया जाए। घटना में,

कोई ऐसा पद रिक्त न पाया जाए या याचिकाकर्ता संख्या 11 से 16 को विचारण हेतु आवश्यक पदों से कम रिक्तियाँ पाई जाएँ, तब प्रतिवादी संख्या 4, 5, 7 से 12 को सिविल जज (वरिष्ठ खंड) पदोन्नत करने वाले आदेश(गण), याचिकाकर्ता संख्या 11 से 16 को विचारण प्रदान करने के लिए आवश्यक हद तक, आज से तीन महीने की समाप्ति पर रद्द हो जाएँगे और उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं को पदोन्नति हेतु विचारण प्रदान किया जाएगा। अभ्यास के किसी भी प्रकार से पूर्ण होने पर प्रतिवादी संख्या 2 मेरिट के अनुसार वरिष्ठता सूची पुनः तैयार कर अधिसूचित करेगा।"

6. प्रारंभ में, हमें यह नोट करना चाहिए कि उच्च न्यायालय की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गौरव पचनंदा ने यह कहा है कि उच्च न्यायालय खंडपीठ के निर्णय की शुद्धता को स्वीकार करता है, इस हद तक जितना उसने पैराग्राफ 16 की टिप्पणियों से स्वतंत्र रूप से ग्रेडेशन सूची में त्रुटियों का निष्कर्ष निकाला है।

7. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित श्री ए. मरियारपुथम, वरिष्ठ अधिवक्ता और प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित श्री संजय हेगड़े, वरिष्ठ अधिवक्ता जो उच्च न्यायालय के समक्ष मूल याचिकाकर्ता थे।

8. श्री संजय हेगड़े ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय के समक्ष अशोक कुमार मामले के अनुपात को लागू कर उच्च न्यायालय के समक्ष उठाई गई चुनौती के विषय वस्तु पर विचार करने का कोई अवसर ही नहीं था, क्योंकि यह चुनौती के दायरे में आता ही नहीं था। विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि यह पहलू न तो याचिका का विषय वस्तु था और न ही प्रस्तुत तर्कों का।

9. उच्च न्यायालय ने अवलोकन किया था कि अशोक कुमार मामले का अनुपात उद्भूत प्रमुख मुद्दे को तय करने हेतु पर्याप्त होगा। अशोक कुमार शर्मा मामले के निर्णय का उल्लेख पूर्णतः अनावश्यक था क्योंकि उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं द्वारा उस निर्णय के आधार पर कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया था। तथापि, उच्च न्यायालय ने अशोक कुमार मामले के अनुपात से स्वतंत्र रूप से ग्रेडेशन सूची की वैधता का विश्लेषण भी किया। तथापि, उच्च न्यायालय का निर्णय दोनों पहलुओं पर तर्कों को परस्पर संयोजित करता प्रतीत होता है। ग्रेडेशन सूची को दोषी ठहराए जाने वाले स्वतंत्र आधारों के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, हम यह

विचारित दृष्टिकोण रखते हैं कि मामले को उच्च न्यायालय को वापस भेजना उचित होगा। उच्च न्यायालय के लिए या इस नाते, अशोक कुमार मामले के निर्णय पर निर्भर करना आवश्यक नहीं था, न ही उपयुक्त था, क्योंकि रिट कार्यवाही में या उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के दौरान ऐसा कोई आधार उठाया ही नहीं गया था। परिणामतः तथा उपर्युक्त कारणों से, हम यह मानते हैं कि विवादित उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश को रद्द करना तथा कार्यवाही को उच्च न्यायालय को पुनः निर्धारण हेतु प्रेषित करना उचित होगा। हम स्पष्ट करते हैं कि विवादित निर्णय के पैराग्राफ 16 में जो आधार प्रभावी हुए हैं, वे उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी- मूल याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए जाने वाले नहीं हैं।

10. उच्च न्यायालय के समक्ष रिट कार्यवाही का मुख्य मुद्दा यह है कि क्या ग्रेडेशन सूची के उद्देश्य हेतु वरिष्ठता रजिस्टर बिंदुओं के आधार पर स्थापित की जा सकती है तथा यह मुद्दा उच्च न्यायालय द्वारा विधिक स्थिति पर लिए गए दृष्टिकोण पर निर्भर करेगा। उपर्युक्त रूप से उल्लिखित अनुसार, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गौरव पचनंदा ने कहा है कि उच्च न्यायालय ने ग्रेडेशन सूची को अमान्य मानने के दृष्टिकोण को स्वीकार किया है। उच्च न्यायालय अपने प्रशासनिक पक्ष से इस मामले के पहलू पर विचारित निर्णय लेने से निषिद्ध नहीं है।

11. परिणामतः, विवादित उच्च न्यायालय का 27 नवंबर 2015 का निर्णय और आदेश रद्द किया जाता है। रिट याचिका उच्च न्यायालय की फाइल पर पुनः निर्णय हेतु बहाल की जाती है। कार्यवाही के लंबित रहने को ध्यान में रखते हुए, हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि वह इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्ति की तिथि से प्राधान्यतः दो महीने की अवधि के भीतर पुनर्भेजी गई याचिका का निपटारा करे। इस बीच, उच्च न्यायालय के निर्णय के लंबित रहते, 2003 बैच के लिए ग्रेडेशन सूची के आधार पर परिणामी निर्देशों को स्थगित रखना उचित होगा ताकि उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही का अंतिम परिणाम का पालन हो सके। उच्च न्यायालय अपने प्रशासनिक पक्ष से इस बीच निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है।

12. तदनुसार अपील को उपर्युक्त शब्दों में निपटा गया।

13. अवशिष्ट आवेदन (यदि कोई हो) निस्तारित किए जाते हैं।

† देविका गुजराल *अपील का निपटारा किया गया*

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|